संख्या-56/2026/205के-2/22-3-2025-17(363)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नौशाद उर्फ जमुना पुत्र श्री ताहिर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025/(बैठक दिनांक 21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नौशाद उर्फ जमुना पुत्र श्री ताहिर, जो मोहल्ला नौकुआ, कस्बा व थाना-शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 21-04-2005 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अब्दुल रहमान को बाइक में बिठाकर शामली ले गये उसकी बाइक व 15000/- रू0 छीनकर अब्दुल रहमान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1056/05 व 612/07 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 व आयु अधि0 की धारा-25/4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, कैराना, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया तथा दिनांक 15-05-2004 को वादी का लड़का अभियुक्त के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, वार्ता के दौरान हुए झगडे में अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पहले उसके माथे पर बोतल मार दी फिर उसके पेट में चाकू मार के हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-175/05 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 06-01-2025 के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 36 वर्ष है। बंदी द्वारा दिनांक 06-01-2025 तक 15 वर्ष, 02 माह, 09 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 10 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा तथा द्वितीय वाद में 14 वर्ष, 05 माह, 02 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष, 05 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, बंदी की आयु के दृष्टिगत भविष्य में अपराध करने में सशक्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गयी। सत्र परीक्षण संख्या-1056/05 व 612/2007 के प्रकरण में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13, मुजफ्फरनगर) द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने का अभिमत प्रदान किया गया है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा 02 अलग-अलग हत्या के प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होने तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारण बनाई जा सके। समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नौशाद उर्फ जमुना पुत्र श्री ताहिर को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नौशाद उर्फ जमुना (बन्दी संख्या-16858) पुत्र श्री ताहिर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-205(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in